



बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना

Bihar State Power (Holding) Company Limited

(निबंधित कार्यालय: विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TIN/VAT No.10011255025 CIN- U40102BR2012SGC018495

Website:- WWW.bsphcl.bih.nic.in

(Department of HR & Administration)

कार्यालय आदेश संख्या—H-II/Court Case-7009/18 1581 दिनांक 31-8 / 18

CWJC NO. 6126/2009 रामदेव मिश्रा वनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 13.03.2013 के अनुपालन में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं—

1. वादी श्री रामदेव मिश्रा, सेवानिवृत्त लेखा सहायक, पेसू क्षेत्र, पटना को लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति दिनांक—27.10.2003 के स्थान पर विभागीय परीक्षा उर्तीर्णता की तिथि अर्थात् दिनांक 23.12.1990 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की जाती है। दिनांक 23.12.1990 के पूर्व विभागीय परीक्षा उर्तीर्ण नहीं रहने के कारण वे लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता नहीं रखते थे। अतएव उनके कनीय की प्रोन्नति की तिथि 16.07.1982 से उन्हें लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति नियमानुकूल देय नहीं है। परन्तु लेखा सहायक के पद पर उनकी मूल वरीयता बरकरार रहेगी।
2. श्री मिश्रा को पूर्ववर्ती बोर्ड के स्थायी आदेश संख्या—743 दिनांक—11.06.1992 में निहित प्रावधान के तहत लेखा सहायक के पद पर दिनांक—23.12.2000 के प्रभाव से प्रथम कालबद्ध वेतनमान एवं दिनांक—23.12.2008 के प्रभाव से द्वितीय कालबद्ध वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. श्री मिश्रा को उनके कनीय के लेखापाल के पद पर प्रोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 04.09.2009 के प्रभाव से लेखापाल के पद पर काल्पनिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है। लेखापाल के पद पर प्रोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक—04.09.2009 से सेवानिवृत्ति तक की अवधि काल्पनिक होगी क्योंकि उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा लेखापाल के पद पर कार्य नहीं किया गया है।
4. कनीय लेखा लिपिक/विपत्र लिपिक की विभागीय परीक्षा उर्तीर्णता के फलस्वरूप प्राप्त तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति के उपरांत वापस लिये जाने के कारण अधिक वेतन मद में काटी गई राशि रू0 10,886/— (दस हजार आठ सौ छियासी रूपये) मात्र श्री मिश्रा को वापस करने की स्वीकृति दी जाती है।

आदेश से,

ह0/—

(सुनील कुमार सिंह)

उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक _____/

दिनांक _____/ 18

प्रतिलिपि:—महाप्रबन्धक—सह—मुख्यअभियंता, पेसू क्षेत्र, पटना / महाप्रबन्धक (मा0सं0/प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/ उप महाप्रबन्धक (मा0सं0/प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/लेखा पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/श्री रामदेव मिश्रा, सेवानिवृत्त (31.10.2011) लेखा सहायक, पेसू क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(सुनील कुमार सिंह)


उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक 982 /

दिनांक 31.8./18

प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक (आई0 टी0), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।


31/8/18

(सुनील कुमार सिंह)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)